न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाह्य न्यायालय मोहम्मदी खीरी

प्रकीर्ण वाद सं0—599 / 2025

CNR No UPLP10003990-2025

श्री रामरतन बनाम अज्ञात

मु0अ0सं0—280 / 2025

थाना—मोहम्मदी खीरी।

अन्तिम रिपोर्ट सं0—73 / 2025

दिनांक 10.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी थी। वादी पर नोटिस जरिए वजात खास तामील है। वादी को वास्ते प्रोटेस्ट हेतु अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है, परन्तु वादी मुकदमा उपस्थित नहीं है, न ही वादी की तरफ से कोई प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र अथवा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। अतः आपत्ति का अवसर समाप्त किया जाता है।

पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उपरोक्त मामले में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी, परन्तु अज्ञात चोर का कोई पता नहीं चल पाने की स्थिति में विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मु0अ0सं0—280 / 2025 में प्रेषित अन्तिम आख्या सं0—73 / 2025 इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है। भविष्य में प्रश्नगत मामले में अज्ञात चोर के संबंध में किसी भी जानकारी के प्राप्त होने की स्थिति में प्रकरण को परिवाद के रुप में संचालित किया जा सकेगा। पत्रावली तद्नुसार निस्तारित। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्रद्धा भारतीय)

(J.O Code-UP1964)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

मोहम्मदी खीरी